भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3048

जिसका उत्तर 19 मार्च, 2025 को दिया जाना है

28 फाल्गुन, 1946 (शक)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भेजे गए टेकडाउन नोटिस

3048. श्री अभिषेक बनर्जी :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) और मेटा को मंत्रालय-वार कितने टेकडाउन नोटिस भेजे गए हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इन टेकडाउन नोटिसों की एक व्यापक सूची है जिसमें प्रत्येक के भेजे जाने की तिथि, अंतर्निहित कारण (जैसे कि घृणास्पद भाषण, गलत सूचना, मानहानि आदि) निर्दिष्ट किए गए हैं;

(ग) इन टेकडाउन नोटिसों के परिणामों और प्रभावों की समीक्षा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) सरकार यह किस प्रकार सुनिश्चित करती है कि ऐसे कार्रवाइयां स्वतंत्र अभिव्यक्ति और विधिवत प्रक्रिया के संवैधानिक संरक्षण के अनुरूप हों?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार की नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करते हुए कि इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री या सूचना से युक्त न रहे, अपने प्रयोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम") को अधिसूचित किया है। इन नियमों में सोशल मीडिया मध्यवर्तियों सहित मध्यवर्तियों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपेक्षित सावधानी का पालन करने के लिए विशिष्ट दायित्व डाले गए हैं। दायित्वों का पालन करने में विफल रहने पर, उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई किसी भी तृतीय पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए देयता से छूट समाप्त हो जाएगी, और वे कानून के अनुसार इसके लिए उत्तरदायी होंगे। इस तरह के दायित्वों में मध्यवर्ती द्वारा अपने उपयोगकर्ताओं को किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, प्रकाशित, संचारित या संग्रहीत नहीं करने के लिए उचित प्रयास करना शामिल है जो जानबूझकर या इरादतन किसी भी कानून का उल्लंघन करती है। इसके अलावा, सोशल मीडिया मध्यवर्तियों सहित मध्यवर्तियों से यह भी अपेक्षित है कि वे अदालत के आदेश के माध्यम से या किसी उपयुक्त सरकार या उसकी अधिकृत एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से संज्ञान में लाए जाने पर किसी भी गैरकानूनी जानकारी को हटा दें। इस तरह की गैरकानूनी जानकारी में भारत की संप्रभुता और अखंडता; राष्ट्र की सुरक्षा; विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध; सार्वजनिक व्यवस्था; शालीनता या नैतिकता के हित में;अदालत की

अवमानना; मानहानि; उपरोक्त से संबंधित अपराध के लिए उकसाने , या कोई भी ऐसी जानकारी जो किसी भी कानून के तहत निषिद्ध है के संबंध में किसी भी कानून के तहत निषिद्ध जानकारी शामिल है।

मध्यवर्ती मंच पर ऐसी किसी भी जानकारी को हटाने के लिए नोटिस सीधे संबंधित उपयुक्त सरकारों या उनकी अधिकृत एजेंसियों द्वारा भेजे जाते हैं, जहां उपयुक्त सरकार, संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार दोनों हो सकती है।

******